दिनांक : 18.11.2025

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। न्यायालय द्वारा जारी वारण्ट 21 नियम 54 पर सहायक नाजिर राजाखेडा का स्पष्टीकरण वास्ते कुर्की संपत्ति बाबत प्रस्तुत हुआ। स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया। उक्त स्पष्टीकरण में यह अंकित है कि वारण्ट के बाबत वारण्ट में वर्णित राशि को जमा कराने हेतु जितेन्द्र सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराने पर उन्होंने राशि जमा कराने से इंकार किया। तत्पश्चात वारण्ट की पालना की जाकर वारण्ट की चार प्रतियों में से एक प्रति पी.डब्ल्यू.डी. राजाखेडा के कार्यालय के मुख्य द्वार पर चस्पा कर नियमानुसार कुर्क किये जाने का अंकन किया गया है एवं डिक्रीदार व डिक्रीदार के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने से भवन सुपुर्द नहीं किये जाने की रिपोर्ट/स्पष्टीकरण पेश किया है। सहायक नाजिर की उक्त स्पष्टीकरण को देखकर यह प्रकट हो रहा है कि उसके द्वारा वारण्ट में वर्णित भवन की नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही नहीं की जाकर वारण्ट की पालना नहीं की गयी है व उसकी ओर से प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है। अतः सहायक नाजिर राजाखेडा श्री भारत गुप्ता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश दिया जाता है। सहायक नाजिर को इस बाबत नोटिस जारी किया जावे।

इजराय पत्रावली के अवलोकन से आदेशिका दिनांक 06.11.2025 अनुसार पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय राजाखेडा की कुर्क की गयी संपत्ति अलमारी छोटी 6, अलामारी बडी 4, रैक छोटी 2, रैक बडी 2, रिवॉल्विंग चेयर 2, टेबल 6, कुर्सी आयरन 6, कम्प्यूटर(सीपीयू, कीबोर्ड, माउस), प्रिन्टर 2 आदि सामान पूर्व से कुर्क पर सुपुर्दगी पर श्री जितेन्द्र सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया है। चूंकि मदयून द्वारा डिक्री की पालना में राशि का भुगतान डिक्रीदार को नहीं किया है। अतः कुर्कशुदा उक्त चल संपत्ति के संबंध में सुपुर्दगीनामा निरस्त करते हुए उक्त संपत्ति को नीलाम कर राशि नियमानुसार डिक्रीदार को अदा करने का आदेश दिया जाता है। नीलामी वारण्ट आज ही जारी किया जावे। इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते देखने पालना रिपोर्ट **दिनांक 19.11.2025** को पेश हो।

18/11/2025

जिला न्यायाधीश
धौलपुर (राज.)